## न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 79/2020 बउनवानी हरिकेश सैनी **बनाम** सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर
पुत्र सुखपाल सैनी, निवासी बस स्टेण्ड के पास मलारना डूँगर तहसील मलारना डूँगर

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| **08.12.2020** | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 13.8.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–<br>1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर के आदेश क्रमांक एफआईडी(18)(5)अनु.कार्य./भू.अ./2019/24 दिनांक 1.1.2020 के संदर्भ में इसी पत्र को भेजे गये के परिप्रेक्ष्य में रामप्रसाद बैरवा पटवारी ,पटवारी मण्डल मलारना डूँगर के द्वारा सीसीए नियम,16 के संबंध में जरिये प्रतिलिपि के संबंध में आपको भी पटवारी हल्का मलारना डूँगर ने जवाब पेश किया इसी संदर्भ में अब पटवारी ने हस्ताक्षर रहित संलग्न प्रेषित कि अनुसार पटवारी रामप्रसाद बैरवा द्वारा आपको भेजा गया जवाब की प्रमाणित प्रति की सूचना तथा आपके पास इस प्रकरण के संबंध में पटवारी द्वारा भेजे गये समस्त दस्तावेजों सहित सम्पूर्ण फाईल नोटिस की सूचना।<br><br>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।<br>नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2020/559 दिनांक 7.12.2020 से अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध जिला कार्यालय से होने के कारण उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के पत्रांक/सूकाअ/2020/332 दिनांक 26.8.2020 से अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जाने पर प्रभारी अधिकारी भू.अ. सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.1/डी(18)(5)वि.जॉच/भू.अ./2019/5599 दिनांक 2.9.2020 द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया कि चाही गयी सूचना से संबंधित प्रकरण मे जॉच प्रक्रियाधीन होने के कारण सूचना दिये जाना सम्भव नही है। चूंकि प्रभारी अधिकारी भू.अ. द्वारा अपीलान्ट को अधिनियम की तय समय सीमा में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।<br><br>पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.8.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना से संबंधित प्रकरण मे जॉच कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण अपीलान्ट को अधिनियम की तय समय सीमा मे जरिये पत्रांक 5599 दिनांक 2.9.2020 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। चूंकि प्रकरण मे जॉच प्रकिया विचाराधीन है ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराये जाने पर जॉच प्रकिया प्रभावित होने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है। इसलिए अपीलान्ट को चाही गयी सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।<br><br>( राजेन्द्र किशन )<br>जिला कलेक्टर<br>सवाई माधोपुर |

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2020.12.28 17:18:23 IST
Reason: SelfAttested